कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

क्रमांक : 05 दिनांकः– 09.01.2024

कोटेशन आमंत्रण सूचना

इस न्यायक्षेत्र के नवसृजित अधीनस्थ न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश (एन.आई एक्ट कोर्ट), नाथद्वारा** के लिये प्रतिष्ठित ब्रॉण्ड वातानुकूलित संयंत्र (1.5 Ton Split Air Conditioner with Stablizer) अनुमानित लागत 45,000/– रूपये हेतु अधिकृत निर्माताओं/डीलरों /विक्रेताओं से मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में लेखा शाखा से प्राप्त किये जा सकते है।

क्र.सं.	नाम आईटम मय विवरण	मात्रा
1.	1.5 Ton Split Air Conditioner with Stablizer	01

निविदाएँ दिनांक 10.01.2024 को प्रातः 10.00 बजे से बेची जाकर दिनांक 18.01.2024 को दोपहर 01 बजे तक प्राप्त की जायेंगी तथा प्राप्त निविदायें दिनांक 18.01.2024 को दोपहर 02 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के अवकाशागार में खोली जायेंगी।

अध्यक्ष,
कय समिति,
जिला न्यायालय राजसमद

क्रमांकः– दिनांकः– 09.01.2024

प्रतिलिपियां निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश,राजसमंद
2. विशिष्ट न्यायाधीश (एन.आई. एक्ट कोर्ट), नाथद्वारा
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमद के नोटिस बोर्ड हेतु।
4. कार्यालय जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय/कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद के नोटिस बोर्ड हेतु।
5. नगरपरिषद्/जिला परिषद, राजसमद के नोटिस बोर्ड हेतु।
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय को

अध्यक्ष,
कय समिति,
जिला न्यायालय राजसमद

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

–: निविदा प्रपत्र :–

निविदा सूचना क्रमांक : 05 दिनांकः–

– निविदा प्रपत्र बेचने की अन्तिम तिथि दिनांक–

– निविदा प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा दिनांक – .... को 01 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे। निर्धारित समय पश्चात् प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगें।

– निविदा प्रस्ताव खोलने की तिथि व समय दिनांक.........................को अपराह्न 02 बजे।

1. .... (वस्तुओं के नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिए निविदा।

2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता (मय टेलीफोन नं.) ....
....
....
...

3. किसको सम्बोधित किया गया– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद।

4. मैं/हम जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद द्वारा जारी की गई कोटेशन निविदा सूचना सं. ..../वर्ष 2023–2024 में वर्णित सभी शर्तो तथा संलग्न शीट में दी गई सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाने के प्रमाण–पत्र में हमने हस्ताक्षर कर दिया है)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..

निविदादाता द्वारा घोषणा

न्यायाधीश
सत्यमेव जयते
राजसमन्द

मैं/हम घोषणा करता हूॅं/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम वास्तविक व्यापार कर्त्ता/अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्त्ता हूॅं/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

(जो लागू हो उसे √ करें)

(नोटेरी से प्रमाणित करवाया जाए)

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद (राज0)

निविदा दर प्रपत्र

S.R.No	Name of Item with Description	No of item
01	**Air Conditioner with Stablizer** **1.5 Ton Split Air Conditioner** SITC of Air Cooled split type Air conditioners complete with Indoor Unit (IDU), Outdoor unit (ODU), surface/ concealed copper refrigerant piping with insulation (Nitril rubber / XLPE insulation), Length as required (IDU to ODU), copper power cable, length as required (IDU to ODU), CPVC Drain Pipe,length as required, Eco Friendly (R-420/R-410A etc), Remote, suitable for 400/230 V+10% pf 50Hz, 1/3 Phase AC supply capable of performing cooling, dehumidification, air circulation of following capacity with Scroll : 1. Hi wall / Ceiling wall split AC 2. 1.5 TR with 3 Star Rating of BEE AND ABOVE **Stablizer:** Supply, Fixing and testing of following capacity wall mounted or inbulit stablizers having output voltage variation from 200 V to 250 V (+/- 5%) with input voltage variation from 170 V to 260 V, time delay facility from 2 to 4 minutes and high cutoff at 270 V with providing of 16 Amp plug top making connection etc complete in all respect : 4 KVA Gr Ist **WARRANTY:** 1 YEARS comprehensive warranty on all spares and parts except compressor and 10 years comprehensive warranty on compressor. (Extended Warranty)	01

NOTE :-

01-All the above specification should be read as " Equivalent or Higher".

02-Supply and installation charges must be inclusive of above rates. No kind of extra charges except above mention rates will be paid seprately.

दरें शब्दों एवं अंकों दोनो में प्रस्तुत करें। ओवरराइटिंग एवं कटिंग है, लघुहस्ताक्षर जरूर करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद (राज0)

निविदा की शर्ते

नोट :– निविदादाता को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदा भेजते समय इसकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए। इन शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा प्रस्तावक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। इस निविदा के क्रम में किए जाने वाले क्रय पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे। उक्त सामग्री का आपूर्ति के संबंध मे दर प्रस्तुत करते समय राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 46 के अनुसार दर प्रस्तुत करने से पूर्व क्रय समिति से विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेंवे तथा दर प्रस्तुत करते समय सामग्री का तकनीकी विवरण लिखा जावें जिसके आधार पर दर व किस्म में तुलना की जा सकें।

निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्तें भी कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में देखी जा सकती है।

1. निविदा के मुहरबन्द लिफाफे में अंकित दस्तावेज तथा निविदा को निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न सामान्य शर्तों के प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र हस्ताक्षरित एवं फर्म की मुहर अंकित किये जाकर संलग्न करने है।

2. निविदा के मुहरबन्द लिफाफे में केवल ''वातानुकूलित संयंत्र'' के लिए निविदत्त की गई दरों को फर्म के लैटर हैड पत्र सहित रखी जानी है। निविदाकर्ता निविदा के सभी पृष्ठों पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।

3. कार्यालय में प्राप्त हुई निविदाओं में, क्रय समिति द्वारा जिला एवं सेशन न्यायालय राजसमंद के मीटिंग हॉल में दिनांक.........................को अपराह्न 03 बजें प्रथमतः निविदा को उपस्थित निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जावेगा।

4. आदेशित सामग्री की मात्रा में कमी अथवा वृद्वि के सम्बंध में समस्त अधिकार क्रय समिति, जिला न्यायालय, राजसमंद के पास सुरक्षित होंगे।

5. निविदा में वर्णित प्रत्येक आईटम की एकल दरें ही मान्य होंगी तथा एक से अधिक दरें देने पर सम्बंधित आईटम की दर अस्वीकार्य होंगी।

6. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरों में जीएसटी एवं अन्य समस्त कर एवं समस्त प्रकार के प्रभार सम्मिलित होंगे।

7. निविदा प्रपत्र स्याही से या टंकन से भरा जाएगा। पेंसिल से भरी हुई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

8. दरें नियत स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई काट–छाँट एवं उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी आवश्यक हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

9. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरों में अंकों एवं शब्दों मे वर्णित दरों में अंतर नही होना चाहिए। अंतर होने की स्थिति में जो भी दर कम होगी उस पर विचार किया जाएगा।

10. माल की आपूर्ति/फिक्सिंग **विशिष्ट न्यायाधीश (एन.आई एक्ट कोर्ट), नाथद्वारा** में पृथक–पृथक से ली जाएगी।

11. आपूर्तिकर्त्ता अपनी संविदा को किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौपेगा या उपभाड़े (सब–लैट) पर नही देगा।

12. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की प्रयोगशाला/तकनीकी जांच आवश्यक है तो आपूर्ति के साथ जांच प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें। आपूर्ति के पश्चात् कोई गुणवत्ता सम्बंधी विपरीत स्थिति पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्त्ता फर्म की होगी।

13. सफल निविदा दाता द्वारा सप्लाई की गई सामग्री का विभाग किसी भी समय सामग्री की निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार सरकारी प्रयोगशाला से जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि सामग्री निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार पाई गई तो जांच के परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जायंगे। अन्यथा उक्त प्रभार निविदा दाता को वहन करने होंगे।

14. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं पाई जाएगी, उन्हे रद्द कर दिया जाएगा तथा निविदा दाता द्वारा ऐसी वस्तुओं/सामग्री को क्रेता अधिकारी द्वारा **नियत समय (1 माह) के** भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।

15. निविदा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की शर्तो के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निर्णित करने के संबंध में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद का निर्णय अंतिम होगा जो निविदा दाता को बाध्य होगा।

16. निविदा दाता उचित पैकिंग/फिक्सिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की हानि, क्षति, कमीं होने के मामले में निविदा दाता उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमीं की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

17. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश देने की दिनांक से 07 **दिन की अवधि के अंदर की** जाएगी।

18. यदि क्रेताधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदा दाता किसी क्षति पूर्ति का क्लेम करने के अधिकृत नहीं होगा।

19. भुगतान :–

(1) राशि का भुगतान दिए गए आदेश के अनुरूप सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में प्राप्त होने पर दिया जाएगा।

(2) भुगतान निविदा दाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किये जाऐंगे।

(3) नियमानुसार देय कर की कटौती भुगतान के समय स्त्रोत पर की जाएगी।

(4) निविदादाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे।

20. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :–

1(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

2 परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

3. यदि प्रदायकर्त्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न किये सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

4. यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदा दाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

22. वसूलियां :– परिनिर्धारित नुकसानी, कम प्रदाय, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलों में रोकी जाएगी। कम सप्लाई, रद्द किये गये माल की मात्रा की राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी।

23. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाए, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदा दाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक से

अधिक सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

24. यदि संविदा के निर्वचन आशय का संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रकरण विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा एवं इसमें अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का ही होगा, जो कि निविदादाता को मान्य होगा।

25. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार को निविदा दाताओं द्वारा राजसमंद न्यायिक क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी।

26. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथास्थान लागू होंगे।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए है।

जिला न्यायाधीश सत्यमेव जयते राजसमन्द

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..
मोबाइल नं..